

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम 4(1) (ख) अन्वये

ह- क्षेत्रिय कार्यालय कासारवाडी- ३४

नियमांतर्गत प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रतिमाह मिळणारे वेतन मोबदल्याच्या पध्दतीसह

| अ.क्र. | वर्ग | पदनाम | वेतनश्रेणी | इतर अनुज्ञेय भत्ते | | |
|--------|------|----------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | नियमित महागाई भत्ता घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता | प्रसंगानुसार प्रवास भत्ता | विशेष भत्ता प्रशिक्षण भत्ता |
| 1 | 2 | उपअभियंता | 56100-177500 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 2 | 2 | कनिष्ठ अभियंता | 38600-122800 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 3 | 3 | मुख्य लिपीक | 38600-122800 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 4 | 3 | लिपीक | 19900-63200 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 5 | 3 | मिटर निरीक्षक | 38600-122800 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 6 | 3 | प्लंबर | 21700-69100 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 7 | 3 | इले.पंप ऑपरेटर | 21700-69100 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| 8 | 4 | मजूर | 16600-52400 | नियमानुसार सर्व | देय आहे | देय आहेत. |
| | | | | | | |